फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मुकेश कुमार बनाम घासी वगै0

पत्र संख्या : 13/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 को खारिज फरमाया जाकर पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.02.24 को मूल वाद के ताफैसला कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 13 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी ने एक तकासमा का वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण ने कभी भी तकासमा के लिए दिनांक 07.02.2024 को मना नही किया है। तथा वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में झुठे एवं मनगंढत तथ्य पेश किये है इसी कारण स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थीगणों को हैरान परेशान करने के लिए तथा अप्रार्थीगणों के सुखाधिकारों को बाधित करने के लिए एक पक्षीय स्टे ले रखा है जो विधि वर्जित है इस कारण खाजिर फरमाया जावें। खसरा नम्बर 219 में स्टे होने के कारण अप्रार्थीगण का प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नही मिल रहा है। इस कारण अप्रार्थीगण अपने कच्चे घरो में ही सर्दी में जीवन बिता रहे है। इसी कारण टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के प्रधानमंत्री आसास योजना में अपने कब्जा की भूमि में मकान बनाने की अनुमति देने की कृपा करें तथा टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 13 का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 13 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है तथा इस स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर मूल वाद के साथ हमफिता है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	